सरकार के पास चीनी का पर्याप्त आरक्षित भण्डार मौजूद था तथा इस भण्डार में से चीनी की कुछ सीमित मात्रा ही बाजार में विक्रय हेतु रिलीज की गयी थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बावजूद चीनी के मूल्य बढ़ते ही जा रहे हैं तथा उनमें कोई गिरावट नहीं आयी है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा चीनी के मूल्य कम करने के लिए खुले बाजार में बिक्री हेतु चीनी की ज्यादा मात्रा रिलीज नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि देश में इन तीन महीनों के दौरान ही त्यौहारों का मौसम शुरू होता है तथा चीनी की मांग बढ़ने लगती है और ऐसी स्थिति में जबकि आरक्षित भण्डार में पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध है, बिक्री हेतु सीमित तथा अपर्याप्त मात्रा में चीनी रिलीज किये जाने के क्या कारण थे ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (घ) आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के तहत, खुली बिक्री की चीनी की रिलीज विवेकपूर्ण तरीके से विनियमित की जाती है जिससे उपभोक्ता के लिए खुले बाजार में चीनी का मूल्य उचित स्तर पर बनाए रखा जा सके तथा चीनी उत्पादक भी गन्ना उत्पादकों को गन्ने का लाभकारी मूल्य देने में सक्षम हो सकें। तदनुसार मई, जून और जुलाई के दौरान खुली बिक्री की चीनी के निम्नलिखित कोटे रिलीज किए गए थे :–

(मात्रा लाख टन में)

मास	वर्ष 1992 के दौरान	वर्ष 1993 के दौरान
मई .	5.55	6.50
जून .	5.75	6.75
जुलाई .	5.75	6.30

इस प्रकार उक्त तीन महीनों के लिए खुली बिक्री की चीनी का कोटा पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों के दौरान रिलीज किए गए कोटे से काफी अधिक था इसके परिणामस्वरूप चीनी का थोक बिक्री मूल्य सूचकांक जो मई, 1993 में 202.2 था वह जून, 1993 में घटकर 200.2 हो गया तथा इसके बाद जुलाई, 1993 में (3-7-1993 को) 201.6 हो गया। 7-8-1993 की स्थिति के अनुसार मूल्य सूचकांक दोबारा बढ़कर 202.2 हो गया। तदनुसार, अगस्त, 1993 के लिए 6.00 लाख टन मासिक कोटे के अतिरिक्त हाल ही में चीनी की 20,000 टन मात्रा और रिलीज की गई है।

(ङ) त्यौहारों आदि के लिए चीनी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन महीनों के दौरान पहले ही चीनी का अधिक कोटा रिलीज किया है जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट होता है।

चीनी का निर्यात

4446. श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 5 लाख मीट्री टन चीनी का निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि 3,28,000 मीटरी टन चीनी के निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात् यह निर्णय किया गया है कि फिलहाल और चीनी का निर्यात न किया जाये;

(ग) यदि हां, तो अब तक निर्यात की गई चीनी से देश को कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि देश में खुले बाजार में चीनी के विक्रय मूल्य की तुलना में कम मूल्य पर चीनी का निर्यात किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय): (क) मार्च, 1992 में निर्यात के लिए चीनी की 2.5 लाख टन मात्रा स्वीकृत की गई थी। इसके बाद दिसंबर 1992 में निर्यात के लिए चीनी की 5.00 लाख टन और मात्रा स्वीकृत की गई थी।

(ख) निर्यात अभिकरण ने सूचित किया है कि 1-10-1992 से कुल अनुबंधित मात्रा 3.40 लाख टन थी। चीनी के उत्पादन में कमी की प्रवृत्ति को देखते हुए निर्यात अभिकरण को चीनी के निर्यात के लिए कोई नया अनुबंध नहीं करने की सलाह दी गई है।

(ग) निर्यात अभिकरण द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 1-10-1992 से 24-8-1993 तक चीनी के निर्यात से 292.25 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई थी।

(घ) और (ङ) चीनी का वाणिज्यिक निर्यात (ई०ई०सी०/यू०एस०ए० को तरजीही कोटे सहित) उद्योग के एक निगमित निकाय अर्थात् भारतीय चीनी और सामान्य उद्योग निर्यात आयात निगम (आई०एस०जी०आई०ई०आई०सी०) द्वारा किया जा रहा है। इसलिए अभिकरण द्वारा फैक्ट्रियों से चीनी ले ली जाती है तथा यह निर्यात अभिकरण द्वारा अनुबंधित मूल्य पर निर्यात की जाती है। चीनी के निर्यात से होने वाली हानि या लाभ को उद्योग द्वारा स्वयं वहन किया जाता है।

Import/Export of sugar

@4447. SHRI SOM PAL:
SHRI SARADA MOHANTY:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) the names of the countries from which sugar was imported during the last three y:ars and the cost thereof;

(b) the names of the countries to whom sugar was exported during the last three years and the amount earned therefrom;

(c) the details of the profit and loss in this regard;

(d) whether Government have received any representation regarding alleged irregularities bring committed in the import of sugar;

(e) if so, the details thereof;

(f) whether any enquiry has been conducted in this regard; and

(g) if so, the details threof and the action taken or proposed to be taken againts the guilty persons?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) No imports of sugar were undertaken during the last three financial years.

(b) Names of the countries to whom sugar was exported on Commercial basis during 1991-92, 1992-93 and 1993-94 (upto 17-07-1993) and the amounts earned therefrom are given in the statement. *(See* below)

(c) During 1991-92 and 1992-93, the estimated loss on export has been reported by the export agency to be about Rs. 17.78 crores and Rs. 10.34 crores respectively. This loss has been borne by the sugar industry. The amount of loss/profit for the year 1993-94 would be available only after completion of the Financial Year and after finalisation of accounts by the export agency.

(d) to (g) Do not arise.

©Previously UnStarred Question 3175 transferred from 19th August, 1993.